ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(1): 431-433
www.allresearchjournal.com
Received: 15-12-2022
Accepted: 23-01-2023

Ruby Kumari
Research Scholar, Department of Education, L.N.M.U., Kameshwar Nagar, Darbhanga, Bihar, India

Dr. Kalpana Kumari
Assistant Professor, Dr. Zakir Hussain Teachers' Training College, Laheriasarai, Darbhangah, Bihar, India

Corresponding Author:
Ruby Kumari
Research Scholar, Department of Education, L.N.M.U., Kameshwar Nagar, Darbhanga, Bihar, India

अनुसूचित जाति की महिलाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Ruby Kumari and Dr. Kalpana Kumari

सारांश
शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे समाज में अनुसूचीत जाति की महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। सरकारी और गैरसरकारी एजेंसियों ने अनुसूचित जाति महिलाओं के सुधार के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुसूचियों में शामिल किया गया है और संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 341 के तहत जिन जातियों को सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति माना जाता है। समाजसेवियों एवं सरकारो के द्वारा अनेक प्रयासों के कारण वर्तमान में अनुसूचित जाति की शिक्षा का स्तर कुछ बदला हैं, लेकिन मना अभी बदलाव काफी दूर हो, अनुसूचित जाति सर्व जनजाति आयोग की छटवीं रिपोर्ट (1999-2001) में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि इन जातियों के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में इस जाति वर्ग के शौक्षिक, आर्थिक, तथा सांस्कृतिक विकास के लिए जो भोजनाएँ चलायी जा रही है वे अभी पूरी ईमानदारी के साथ लागू नहीं की गई हो इस सन्दर्भ मे आयोग ने विभिन्न सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रषित की है, जिस पर गम्भीरता के साथ अमल किये जाने की आवश्यकता है। आदिवासी एवं दलित समुदाय मे बालिका शिक्षा की स्थिति काफी बूरी हो आदिवासी समुदाय की कूल 41.4% लड़कियाँ शिक्षित है। वर्तमान में अनेको प्राग के प्रावधान केन्द्र सरकार एवं अयोग द्वारा बनाये गये हैं। इतके बावजूद रुक्षीवादिता, लिंग संबंधी भेदभाव, समाज में, शिक्षा की कमी के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओ को हीन दृष्टी से देखना इत्यारी कारणों के कारण इन महिलाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सह-भागिता मानको के तुलना मे कम है, जो चिंता का विषय है परन्तु प्रयासो से यह लक्ष्य की ओग ओर अग्रसर प्रतित होता है।

कूटशब्द : शिक्षा, अनुसूचित जाति, भारतीय संविधान, आयोग, उच्च शिक्षा, सहभागीता।

प्रस्तावना
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाएं शिक्षा के मामले में अपने वर्ग के बालकों एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओं से बहुत पीछे हैं। शिक्षा में इस बात का महत्व है कि बालिकाओं का कितना अनुपात पढ़ाई पूरी किए बगैर स्कूल छोड़कर घर बैठ जाता है। शिक्षा के सभी स्तरों पर दलित बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर सामान्य जनसंख्या के अनुपात में बहुत ज्यादा है। सामान्य जनसंख्या के सापेक्ष दलित बालिकाओं का ड्रॉप आउट अंतर बहुत ज्यादा है। उच्च शिक्षा में भी दलित वर्ग की बालिकाओं का अनुपात सामान्य वर्ग की बालिकाओं की तुलना में बहुत पीछे है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 13.8% है जबकि अनुसूचित जाति की बालिकाओं की दर 1.8 % एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की दर 1.6% मात्र है। 6 से 14 आयु वर्ग के 35.1 लाख आदिवासी बच्चों में 54 प्रतिशत अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। इस आयु वर्ग में 18.9 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।

आदिवासी एवं दलित समुदाय में बालिका शिक्षा की स्थिति काफी बुरी है। आदिवासी समुदाय की कुल 41.4 प्रतिशत लड़कियां शिक्षित हैं। सहरिया और बैगा समुदाय में तो यह स्थिति और भी बुरी है। मात्र 15.9 प्रतिशत सहरिया लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा है। 45.36 प्रतिशत स्कूल के बाहर लड़कों की तुलना में 54.64 लड़कियां स्कूल से बाहर थीं और कुल 10 प्रतिशत स्कूल से बाहर पाए गए। स्कूलों से बाहर निकलते बच्चों की संख्या स्कूलों में दर्ज न होने वाले बच्चों से ज्यादा थी। इससे यह पता चल रहा था कि बच्चों के नाम स्कूलों में दर्ज तो हो जा रहे थे, पर वे काफी जल्दी बाहर हो जा रहे थे। स्कूलों से बाहर हो रहे बच्चों में भी लड़कियों की संख्या 60 प्रतिशत है, वहीं लड़कों की दर 47.31 प्रतिशत है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में शाला में दर्ज न होने वाले 186 बच्चों में 98 लड़कियां हैं।

प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली बालिकाओं में से 24.82 प्रतिशत कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पातीं और उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.76 प्रतिशत बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है।

दलित बालिकाओं की शिक्षा छोड़ने के कारण

1. दलित बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है।
2. स्कूल का दूर होना, यातायात की अनुपलब्धता, घरेलू काम, छोटे भाई-बहनों की देखरेख, आर्थिक व विभिन्न सामाजिक समस्याएं आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जो कि बालिका शिक्षा की राह में बाधा हैं।
3. शौचालय की कमी, कमरे की कमी, टीएलएम की कमी, कौशल से युक्त शिक्षक की कमी, पानी की कमी के बावजूद दलित बालिकाएं शाला जाना चाहती हैं और पढ़ना चाहती हैं, पर शाला का नीरस वातावरण और शिक्षकों की उपेक्षा बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह को कम कर देती है जिसकी वजह से दलित बालिकाओं के लिए शाला जाना सजा से कम नहीं लगता।
4. स्कूलों के अंदर छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां दूर हो सकें और सभी परिवार बिना किसी भय व संकोच के अपने घर की लड़कियों को स्कूल भेज सकें।
5. आदिवासी इलाकों में चल रहे स्कूलों में अधोसंरचना एवं संसाधनों की कमी है। अधिकतर विद्यालयों में मात्र एक पूर्णकालिक योग्य शिक्षक है। अन्य सुविधाएं जैसे पृथक शौचालय, चहारदीवारी, कक्षा भवन आदि की कमी है। ये तो अधोसंरचनात्मक कमियां हैं लेकिन हम उन कमियों का क्या करें, जो आदिवासी शिक्षा के लिए राज्य के खर्चे में आ गई है।
6. इन स्कूलों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, वे दलित बालिकाओं के साथ दोहरा व्यवहार करते हैं। वे इन बालिकाओं से स्कूल की सफाई आदि का काम कराते हैं।
7. चूंकि आदिवासी समुदाय दूर-दराज इलाकों में रहता है, इस वजह से समुदाय की स्कूलों तक पहुंच भी एक बड़ी समस्या है और एक बड़ा तबका स्कूलों से दूर है।
8. विडंबना यह है कि देश की तीन-चौथाई आबादी के लिए बने सरकारी स्कुलों की दुर्दशा 'शिक्षा के लोकव्यापीकरण' के अंतरराष्ट्रीय नारे के नाम पर जारी है। स्कूल के अंदर भी आदिवासी बच्चों के साथ स्कूल के मास्टर एवं समाज के अगड़ी जाति के बच्चों का व्यवहार समानता का नहीं होता है। उन्हें कक्षा में सबसे पीछे बिठाया जाता है। उनसे छुआछूत किया जाता है। स्कूल में साफ-सफाई का काम भी इन्हीं से कराया जाता है। तो अगर कोई परिवार अपने बच्चे को स्कूल भेजता भी है तो उसके ठहराव की संभावना काफी कम हो जाती है।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में दलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। दलित बालिकाओं के परिवारों के पास पूंजी एवं परिसंपत्तियों के अभाव के चलते दलित बालिकाएं बाल श्रम करने को मजबूर हैं। शैक्षिक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बाल्य अवस्था एवं किशोर वय श्रम के बोझ के नीचे दबकर रह जाती है।
10. पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली निर्धनता उनकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए सबसे बड़ा अवरोध है।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार- 'राज्य विशेष सावधानी के साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति/ जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के उन्नयन को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा'।

अनुच्छेद 330, 332, 335, 338 से 342 तथा संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 46 में दिए गए लक्ष्य हेतु विशेष प्रावधानों के संबंध में कार्य करते हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लाभार्थ इन प्रावधानों का पूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के शैक्षणिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्ययोजना (पीओए) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की वर्तमान योजनाओं में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

संकल्प

1. 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्नर मुनोज ने सुझाव दिया कि दलित बालिकाओं के स्कूल में नामांकन एवं स्थिर रहवास के लिए सभी बाधाओं को हटाने का संकल्प होना चाहिए।
2. 2007 ISDN ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि UN ड्राफ्ट के नियमानुसार दलित समूहों की बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।
3. 2008 UN फोरम ऑफ मायनॉरिटीज इश्यूज की बैठक 2008 में बांग्लादेश में हुई थी जिसमें दलित एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा से पलायन एवं उनके शोषण के कारणों पर विस्तृत चर्चा कर संकल्प पारित किया गया।

दलित बालिकाओं की शिक्षा में सहभागिता के लिए सुझाव

1. शिक्षा का सिद्धांत एक बुद्धिवादी दृष्टिकोण पर आश्रित है कि सभी मनुष्य मुक्त एवं समान अधिकार के साथ पैदा हुए हैं और उस जाति व्यवस्था को आदमी ने अपनी ही-की सुविधा के लिए बनाया है। एक सामाजिक आदर्श के रूप में अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में दलित बच्चों के साथ में अन्य बच्चों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
2. पर प्रगतिशील निवेश-अपवर्जित बच्चों, कमजोर स्कूलों और तहत प्रदर्शन क्षेत्रों, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण।
3. दलित बालिकाओं पर केंद्रित शैक्षिक दृष्टिकोण।
4. अच्छी तरह से कार्य करने वाली एवं अच्छी तरह से प्रबंधित और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली।
5. स्कूली शिक्षा के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को कम करने के प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है।
6. दलित बालिकाओं की शिक्षा शोषणमुक्त हो एवं उनके अधिकारों एवं लाभों का वे अधिकतम उपयोग कर सकें, इसके लिए जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। लिंग संवेदीकरण (Gender sensitization) कार्यक्रम तैयार होने चाहिए।

7. शिक्षा बालिका सशक्तीकरण का एक प्रमुख हथियार है। दलित बालिकाओं के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे कुटीर उद्योग, गांव शिल्प आदि का प्रशिक्षण उन्हें उनके घर पर मिलना चाहिए।
8. प्रतिभाशाली दलित बालिकाओं की खोज का कोई वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए एवं गांव स्तर पर उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए।
9. दलित बालिकाओं में प्रतिस्पर्धा की भावनाएं जाग्रत की जानी चाहिए।
10. दलित बालिकाओं को परिणाममूलक शिक्षा दी जानी चाहिए।
11. उच्च शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी शासन को लेनी चाहिए।
12. विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो दलित एवं गैर-दलित में कोई फर्क न करे, इसके लिए नियमित अंतराल में काउंसलिंग की आवश्यकता है।
13. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दलित बालिकाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए तहसील या गांव स्तर पर स्पेशल कोचिंग एवं आर्थिक सहायता उन्हें मिलना चाहिए। दलितों को शिक्षित करने की दिशा में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी हम सभी को स्वीकार करना चाहिए।

भारत में दलित बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना जहां जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक श्रेष्ठताओं का बोलबाला हो, एक बहुत बड़ी चुनौती है। दलित बालिकाओं का स्कूलों में नामांकन करवाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी पढ़ाई को पूरा करवाने के लिए भी कोई उपाय हमारे पास होना चाहिए। अपरिवर्तित सामाजिक मूल्यों के चलते शिक्षा से दलित बालिकाओं का जुडाव नगण्य जैसा है। दलित बालिकाओं में आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता एवं अन्याय से लड़ने की शक्ति शिक्षा से प्राप्त होती है। दलित बालिकाओं से शिक्षा में असमानता का व्यवहार, सामाजिक अस्पृश्यता, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना समाज, परिवार एवं तंत्र द्वारा किया जाना सर्वविदित है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये सारी घटनाएं जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं जिम्मेदार लोगों के संज्ञान में होती हैं। आज आवश्यकता है कि समाज, तंत्र और जनप्रतिनिधि इन दलित सपनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों।

निष्कर्ष:

उपयुक्त सदभित तथ्या में विषलेशणात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुसूचित जाति के महिलाओं को उच्च श्रेणी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो केन्द्रीय आयोग एवं समाजसेवीयों द्वारा सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं। उनका दृड़ता से पालन में कुछ गड़बड़ी है, जिस कारण ये वर्ग आज भी उपेक्षित प्रतित होता है। सरकार की जो भी वित्तिय सहायता एवं योजनाओ का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है, जिससे उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता एवं बढ़ावा मिल सके। उच्च शिक्षा में सहभागिता हेतु केन्द्र सरकार जो केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृति की योजना शुरू की है उसमें 12वीं कक्षा से आगे पढ़ाई जारी रखने वाले अनुसूचित जाति छात्रों को शामिल किया गया है। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के माध्यम से भारतीय महिलाओं को समान अधिकार, समान स्वतंत्रता एवं समान स्तर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के समान सुविधाओं का उपयोग करने में समर्थ हो सके।

भारत में कानूनी समानता के बावजूद सामाजिक भेदभाव, असमानता एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन वास्तविकता बना हुआ है। औपचारिक रूप से अस्पृश्यता की समाप्ति एवं उसका किसी भी रूप में प्रचालन दंडनीय अपराध घोषित होने के बावजूद भारतीय समाज में यह घृणित अमानवीय प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पायी है, अगर भारत में लोकतंत्र बचाए रखना एवं मजबूत बनाना हो तो अनुसूचित जाति की महिलाओं की सहभागीता को बढ़ाना होगा जो केवल अनुसूचित जाति के महिलाओं की समस्याओं से सरोकार रखते हुए उन्हें दूर करने के प्रयासों से ही संभव है।

संदर्भ:

1. अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न-मंजुलता, अर्जुन पब्लिकेशन 2010
2. बिहार, इतिहास एवं संस्कृति, डॉ. प्रमोदानन्द दास एवं डॉ. कुमार अमरेन्द्र 2018
3. ए.एन. सिन्हा सामाजिक एवं आर्थिक शोधसंस्थान, पटना का रिपोर्ट, गरीबी उन्मूलन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका
4. संतोष कुमार, बिहार का भूगोल, पेज नं. 176
5. बिहार में अनुसूचित जातियों की 1981 की जनगणना
6. स्पेशल टेबूल अनुसूचित जाति के लिए बिहार जनगणना 1981
7. बिहार में योजनाएँ एंव कार्यक्रम रजनीश कुमार, पेज नं. 138-139